190

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र. निग/ 2406 /पुर्न./I/2016

अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल रज्जाक
उम्र 50 वर्ष जाति मुसलमान
व्यवसाय कृषि कार्य
नि. बड़ौदा जिला श्योपुर(म.प्र.)

.............आवेदक/निगरानीकर्ता

श्री .... द्वारा आज दि. 22.7.16 को प्रस्तुत
क्लर्क 22-7-16
राजस्व मण्डल

बनाम

(1) कैलाशी बाई विधवा श्री कृष्ण माली, उम्र 58 वर्ष

(2) लीलाधर पुत्र श्री कृष्ण माली उम्र 33 वर्ष

(3) धनराज पुत्र श्री कृष्ण माली उम्र 30 वर्ष

समस्त निवासीगण बड़ौदा

(4) पटवारी मौजा बड़ौदा

..................................अनावेदकगण

22/7/16

<u>पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध प्र.क्र. 489/I/2016/निगरानी आदेश दिनांक 17/05/2016 पारित द्वारा सदस्य माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. से व्यथित होकर</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदन प्रकार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :– यह है कि कस्बा बड़ौदा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3517/1क 3518/2ख, 3611/2क, कुल किता

अब्दुल रफीक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुर्नाविलोकन 2406/एक/2016 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21.9.16	यह पुर्नाविलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 489/I/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने कलेक्टर श्योपुर को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि बडौदा स्थित भूमि सर्वे नं. 3517/1क रकवा 8 बीघा 8 विस्वा एवं 3518/2ख का रकवा 3 विस्वा तथा सर्वे नं. 3611/2क रकवा 2 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 8 बीघा 13 विस्वा पटवारी कागजात में उनके नाम पर है। किन्तु तत्कालीन पटवारी ने बिना किसी आदेश के वादग्रस्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज की दी। इसलिये इन्द्राज दुरूस्त कराया जाये कलेक्टर श्योपुर द्वारा आवेदन तहसीलदार बडौदा को प्रेषित किया तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्व कर तथा पक्षकारो को सुनकर आदेश दिनांक 30.08.2014 पारित करके आवेदक के स्थान पर वादग्रस्त भूमि अनावेदकगण के नाम खसरा प्रविष्टी के दुरूस्त करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जो स्वीकार हुयी तत्पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 17.05.2016 को स्वीकार की गयी तथा इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष पुर्नाविलोकन प्रस्तुत किया गया है। 3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि इस न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया,	

उसमें कई वैधानिक त्रुटियॉ भूल रह गयी है, जिसके कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुर्नाविलोकन योग्य है। इस न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। इस न्यायालय द्वारा जो सूचना पत्र दिनांक 08.03.2016 को जारी किया है उसकी तामीली आवेदक पर नहीं करवायी गयी और न ही सूचना पत्र पर तहसीलदार की टीप अंकित है तथा गवाहो के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में तथाकथित फर्जी तामीली के आधार जो आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया है उसमें अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि होने से इस न्यायालय का आदेश पुनर्विलोकन योग्य है। अनावेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के अन्तिम आदेश के विरूद्व पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है जबकि अन्तिम आदेश के विरूद्व अपील किये जाने का वैधानिक प्रावधान है ऐसी स्थिति में जो आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया है त्रुटिपूर्ण होने से संशोधन योग्य है अंत में उनके द्वारा पुर्नविलोकन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4-- अनावेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया गया कि उपरोक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश दिनांक 17.05.2016 पारित किया है, जिसमें विरूद्ध पुर्नाविलोकन प्रस्तुत किया गया है, जो बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5-- प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसीलदार बडौदा ने संहिता की धारा 168, 169, 190 के तहत् आवेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में पूर्व भूमि स्वामी एवं स्वतंत्र साक्षियों के कथन लिये गये तथा विधिवत् रूप से आदेश दिनांक 20.01.1994 पारित कर नामान्तरण के आदेश दिये गये है। परन्तु किसी कारणवश प्रार्थी का नामान्तरण नहीं

हो सका इस दौरान मूल भूमि स्वामी की मुत्यु हो जाने के कारण वादित भूमि पर मूल भूमि स्वामी की प्रथम पत्नी नटीबाई एवं द्वितीय पत्नी कैलाशीबाई एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 का नामान्तरण हो गया। वर्तमान में नटीबाई की मुत्यु को गयी है आवेदक द्वारा दिनांक 10.06.2004 को मृतक नटीबाई एवं अनावेदकगण से उक्त वादित भूमि के संबधं में पुनः इकरारनामा लिखवाया जिसमें अनावेदकगण द्वारा गवाहो के समक्ष आवेदक से वादित भूमि के संबंध में प्रतिफल रकम 2,50,000/– प्राप्त करने का उल्लेख है इसके बाद आवेदक द्वारा पूर्व में नायब तहसीलदार बडौदा द्वारा किये गये आदेश के क्रम में वादित भूमि मे अपना नामान्तरण करवा लिया तथा आवेदक का कब्जा वादित भूमि पर सन् 1980 से चला आ रहा है तब से आज दिनांक तक किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी परन्तु जैसे ही मूल भूमि स्वामी की प्रथम पत्नी नटीबाई की मुत्यु हुयी तो अनावेदकगण की नियति में खोट आने के कारण अनावेदकगण द्वारा वादित भूमि पर फर्जी रूप से इन्द्राज कराने का आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे कलेक्टर श्योपुर द्वारा जॉच हेतु तहसीलदार बडौदा को भेजा गया, जबकि तहसीलदार बडौदा द्वारा जनसुनवाई आवेदन केवल प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ था। तहसीलदार बडौदा के उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 21.01.2016 को स्वीकार हुयी। तत्पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। जबकि अपील में पारित आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील किये जाने का स्पष्ट प्रावधान भू–राजस्व संहिता की धारा 44 में है। क्योंकि अंतिम आदेश के विरूद्व केवल अपील प्रस्तुत की जाती है न कि पुनरीक्षण ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश में उपरोक्त तथ्य पर विचार होने से रह गया है। वर्तमान प्रकरण में जो आदेश इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किया है उसमें आवेदकगण को सुनवाई का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में भी इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 विधिवत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है । परिणाम स्वरूप पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 स्थिर रखा जाता है।

सदस्य